FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
पूनमचंद चौधरी, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अजमेर रोड़ डेगाना		मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर।

किस्म मुकदमा अपील संख्या... 18 सन् 2018

अपील अन्तर्गत राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.01.18	अपीलान्ट द्वारा राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत आवेदन उपखण्ड अधिकारी डेगाना को दिनांक 30.10.17 को प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी डेगाना ने अपने पत्रांक–1389 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर (लोक सुनवाई अधिकारी) को स्थानान्तरित कर दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर नियत समय सीमा में निर्णय नहीं दिये जाने से अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (ग्रुप–1) जयपुर की अधिसूचना दिनांक 7.06.2012 के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन प्राप्त परिवाद की सनुवाई एवं निपटारे के लिए, परिवाद की प्राप्ति से 15 दिवस नियत समय सीमा निर्धारित की गई है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की धारा 6 के अनुसार 30 दिवस में प्रथम अपील करने का प्रावधान है। प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर को दिनांक 30.10.2017 को भिजवाया गया था। **उक्त अधिनियम 2012 की धारा 6(3) के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाइ्र का अवसर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज सकेगा।** **अपील दर्ज रजिटस्टर की जावे।** चूंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत परिवाद को उपखण्ड अधिकारी डेगाना द्वारा लोक सूनवाई अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागौर को भिजवाया गया, परन्तु मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागौर द्वारा नियत समयावधि में अपीलान्ट के परिवाद पर समुचित निर्णय पारित नहीं किया है। अतः प्रकरण लोक सूनवाई अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर 15 दिवस में आवश्यक रूप से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेशिका की प्रमाणित प्रति लोक सूनवाई अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागौर को पालनार्थ एवं आदेशिका की एक प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को निशुल्क सूचनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (कुमार पाल गौतम) जिला कलक्टर,नागौर कलक्टर, नागौर	